्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

ाद–पत्र संख्या :–28/2015 दायर दिनांकः 15.04.2015

ऑनलाइन दर्ज क्रमांकः– 2015/00162

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार नैनवां

–वादी

बनाम

1. यासीन मो0 आत्मज ख्वाजू खां जाति मुसलमान सा0 छोटीपडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र तरमीम दुरस्ती अन्तर्गत धारा 60 लेण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 एवं धारा 131–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. वादी तहसीलदार नैनवां

निर्णय दिनांक 05.03.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम/कस्बा छोटी पडाप तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 110 रकबा 8 बीघा स्थित है। जिसके नवीन नम्बर 110/363 है। यह कि उक्त भूमि वर्ष 1983 में आवंटी यासीन आ0 ख्वाजू खां को आवंटित हुई थी। यह कि उक्त भूमि के वर्तमान खातेदार नाथूलाल आ0 शोभागमल महा0 नैनवां व खाना पि0 घनश्याम धा0 बम्बूली है। यह कि आवंटित भूमि की तरमीम आई0एल0आर0 के द्वारा की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेशो के विपरीत सड़क के किनारे की गई है। यह है कि उक्त तरमीम आवंटन आदेशो में कब्जा रिपोर्ट के विपरीत है। यह कि उक्त तरमीम आंवटन आदेशों के विपरीत सड़क के समीप किये जाने से निरस्तनीय है। इस तरमीम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 4(5)च के विरूद्ध है। अतः कृपया उक्त तरमीम निरस्त करने के आदेश फरमावें। वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी , नकल नक्शा ट्रेस पेश की है।

प्रतिवादी को जर्ये नोटिस सुनवाई हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी यासीन ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त विवादित तरमीम किस पटवारी या आई0एल0आर0 द्वारा किसके पक्ष में की गई थी मुझे पता नही है न ही मुझे बताया गया है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में निवेदन किया कि वर्तमान खातेदार व पटवारी व आई0एल0आर0 से ही संबंधित मामला है।

वादपत्र में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05.03.2021 को वादी उपस्थित है। लेकिन प्रतिवादी या प्रतिवादीगण की और से कोई अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। वाद पत्र में दिनांक 27.09.2017 को पीठासीन अधिकारी द्वारा इस वाद को प्रार्थना पत्र के रूप में सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र पर विचारण किये जाने के आदेश दिये गए थे। अतः प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तरमीम निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय आज दि[illegible] लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.21 11:46:11 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Scanned with CamScanner